

कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट

क्रमांक 42 नि0आ0/नग्रानि/2010

छिन्दवाड़ा दिनांक 7/12/10

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
जिला-सिवनी (म0प्र0)

विषय: आवेदक कालोनाइजर्स श्री राजेश चंद्र मालू पिता श्री हरीशचंद्र निवसी बुधवारी बाजार सिवनी द्वारा ग्राम मंगलीपेट प0ह0न0 56 के भूमि खसरा क्रमांक 37/4, 37/18 का रकबा क्रमशः 0.544 हे0, 0.198 हे0 कुल रकबा 0.742 हे0 (7420 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय अभिन्यास को क्रियान्वित करने हेतु अभिन्यास अनुमोदन बाबत।

संदर्भ: आपका ज्ञाप क्रमांक 144/प्रस्तुतकार/अविअ/2010 सिवनी दिनांक 11.11.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्रानुसार आवेदक कालोनाइजर्स लायसेन्सी श्री राजेश चंद्र मालू पिता श्री हरीशचंद्र निवसी बुधवारी बाजार सिवनी द्वारा ग्राम मंगलीपेट प0ह0न0 56 के भूमि खसरा क्रमांक 37/4, 37/18 का रकबा क्रमशः 0.544 हे0, 0.198 हे0 कुल रकबा 0.742 हे0 (7420 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय अभिन्यास को क्रियान्वित करने हेतु म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 की उपधारा (3) एवं म0 प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2(5) एवं 27 (1) के अधीन एवं सिवनी विकास योजना 2021 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन संलग्न मानचित्र में लालरंग से दर्शाये अनुसार क्षेत्र पर विकास/नियोजन अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम सक्षम प्राधिकारी तथा स्थानिय संस्था से अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - अ. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172
 - ब. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1956-1961/म0प्र0 ग्राम पंचायत अधिनियम 1993
 - स. म0प्र0 कालोनाइजर्स का (रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998-1999
 - द. भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय सिवनी
अन्य किसी अधिनियम/नियम के अंतर्गत या कोई अनुमति लेना अनिवार्य हो तो आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
2. मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961/म0प्र0 ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 के अंतर्गत शासन द्वारा बनाये गये म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम (कालोनाइजर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998-99 के नियम 3 के अनुसार संस्था का कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण सहित अन्य सभी नियमों का पालन सक्षम अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही कालोनी विकास कार्य को क्रियान्वित करने संबंधी विकास अनुमति प्रदान की जाये।
3. आपके संदर्भित ज्ञापन अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 के अन्तर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998-99 के नियम 10 (2) के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत (शपथपत्र दिनांक 24.12.2010) के चयनित विकल्प के अनुसार समाज के कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित अभिन्यासित क्षेत्र के कुल विकसित भूखंडीय क्षेत्र का 15 % प्रतिशत का 25 % प्रतिशत कारपेट एरिया में (ई0डब्ल्यू0एस0) भवन निर्मित कर उपलब्ध करायेगा एवं 10 % निम्न आय वर्ग हेतु (एल.आई.जी.) हेतु भूखंड आरक्षित रखना होगा तदनुसार विकास अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त अनुज्ञा अनुसार विकास कार्य क्रियान्वित किया जाना सुनिश्चित करेगा।
4. नियमानुसार बाह्य विकास लागत राशि, आंतरिक विकास लागत राशि एवं पर्यवेक्षण शुल्क संबंधित स्थानीय संस्था में जमा करना होगा, तथा कालोनी-का विकास संस्था द्वारा कालोनाइजर नियम 1998-99 के नियम 12 के अंतर्गत प्रावधानानुसार यदि कालोनाइजर विहित विनिर्देश के अनुसार कालोनी का बाह्य विकास स्वयं ही पूर्ण करता है तो कालोनाइजर द्वारा उक्त रकम जमा करना आवश्यक नहीं होगा। परन्तु उसके लिए उसे नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति आदि प्राप्त करना होगा।
5. म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) के प्रावधानों के अनुसार भूखंडों में निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल,संवर्धन प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी। इस प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के पश्चात् ही भूखंडों पर जल, विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा सकेगा।
6. आवेदक द्वारा खसरा अक्स/बटांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी जिम्मेदारी आवेदक एवं संबंधित पटवारी की होगी।
7. प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों को निरंतर रखना होगा तथा पुलिया आदि का निर्माण कालोनाइजर द्वारा स्वयं करना होगा।
8. म0प्र0 शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुसार भूखंडों के लिए वृक्षारोपन के अतिरिक्त वृक्षारोपन किया जाना अनिवार्य होगा। स्थल पर उपरोक्त मान के अनुसार कालोनाइजर द्वारा वृक्षारोपण संबंधी प्रक्रिया निश्चित करने के उपरान्त संबंधित स्थानिय संस्था द्वारा भवन अनुज्ञा दी जावेगी।

9. विद्युत प्रणाली (स्ट्रीट लाईट) की व्यवस्था म0प्र0 विद्युत मंडल के मानक अनुसार करनी होगी तथा स्थल पर स्थित विद्युत लाईन से प्रभावित भूखंडों पर किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा। उक्त प्रभावित भूखंडों का विक्रय जब तक लाईन स्थानान्तरित नहीं हो जाती प्रतिबंधित रहेगा।
10. प्रश्नाधीन स्थल पर लाईनों हेतु म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 52 तथा म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान नियमों के अनुसार पालन करना अनिवार्य होगा तथा संबंधित विभाग से अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा।
11. जल प्रदाय सेप्टिक टैंक, आरक्षित खुला क्षेत्र, आंतरिक मार्गों पर वृक्षारोपन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं आवश्यक सेवा सुविधाएँ, अधोसंरचना का विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मानक एवं स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा। जल-मल निकासी की व्यवस्था स्थानिय की मुख्य प्रवाह (तकला ड्रेन) के स्तर तक निर्धारित मानक अनुसार करना होगी।
12. अभिन्यासित क्षेत्र में नालियों का बेंड लेवल प्राकृतिक जल प्रवाह की दिशा में रखा जावे एवं उसकी चौड़ाई कम से कम 0.5 मीटर रखी जावे।
13. विकास अनुज्ञा जारी होने के 60 दिवस के अंदर स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार सीमांकन कराना होगा। सीमांकन के उपरान्त स्थल के अनुरूप संशोधन की दशा में सीमांकन अभिन्यास इस कार्यालय से पुनः स्वीकृत कराना होगा। समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् अभिन्यास संबंधित विसंगति स्थल पर उत्पन्न होने पर उसकी जिम्मेदारी संबंधित पटवारी एवं आवेदक कालोनाईजर की होगी।
14. अनुमोदित अभिन्यास की एक सत्यप्रति मय आदेश पत्र के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना अनिवार्य होगा तथा स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी 5'4 फुल साईज के बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
15. संलग्न अभिन्यास में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मुख्य व आंतरिक मार्गों की निरंतरता एवं नियमानुसार पर्याप्त चौड़ाई सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा, अतः उक्त मार्गों को मेंड अथवा सीमा, दीवाल से अवरुद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा।
16. म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 प्रावधानों के अन्तर्गत यह अनुज्ञा 3 वर्ष के लिए प्रभावशील होगी।
17. किसी भी प्रकार से भूमि स्वामित्व संबंधी एवं कालोनाईजर रजिस्ट्रकरण संबंधी विवाद, सीमा सीमांकन विकास पहुँच मार्ग के आधिपत्य संबंधी या सारभूत तथ्यों के संबंधी में कोई कथन असत्य पाये जाने पर यह अनुज्ञा स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी।
18. शासन द्वारा समय-समय पर लागू होने वाले नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के प्रावधानों के तहत प्रतिसंहारित कर दी जावेगी।

संलग्न: मानचित्र 1 प्रति

क्रमांक 43-45/नि0आ0/नग्रानि/2010
प्रतिलिपि:

- परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला सिवनी को मानचित्र की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् सिवनी को मानचित्र की एक प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- आवेदक कालोनाईजर श्री राजेश चंद्र मालू पिता श्री हरीशचंद्र निवसी बुधवारी बाजार सिवनी को मानचित्र की एक प्रति के साथ सूचनार्थ।



संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय- छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा दिनांक 21/07/10

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय- छिन्दवाड़ा